F.No. 1(2)/2004-E-II (B) /625
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi the 22 September,2004

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2004

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1 (1)/2003-E-II (B) dated 1st March, 2004 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 11% to 14% with effect from 1st July, 2004.

2 The provisions contained in paras 3,4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 (13)/97-E-II (B) dated 3.10. 1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders. However, with effect from 01.04.2004, Dearness Allowance will be computed on the basis of Basic Pay, Dearness pay, Stagnation Increment and NPA. Provisions contained in para 3 of this Ministry's OM No.1(13)/97-E.II.(B) dated 3.10.1997 therefore stand amended to this extent.

3 The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In this regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(N.P. Singh)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

फा.सं.1(2)/2004-संस्था-II (ख) /625
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.07.2004 से लागू संशोधित दरें ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 1 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(1)/2003-संस्था-II(ख) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को दिनांक 1 जुलाई, 2004 से 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है ।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 3.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(13)/97-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे । तथापि, 01.04.2004 से प्रभावी महंगाई भत्ते का परिकलन मूल वेतन, महंगाई वेतन, गतिरोध वेतन वृद्धि और एन.पी.ए. के आधार पर किया जाएगा । अत: इस मंत्रालय के दिनांक 03.10.1997 के पैरा 3 में निहित उपबंधों को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद के रूप में किया जाएगा ।

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभार्य होगा । सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं ।

(एन.पी. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि:- नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।

(चन्दन)